



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092022-239175
CG-DL-E-27092022-239175

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 650]
No. 650]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 2022/आश्विन 5, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 2022/ ASVINA 5, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 731(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 67 और धारा 87 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेलवे लाल टैरिफ नियम, 2000 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे लाल टैरिफ (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- रेलवे लाल टैरिफ नियम 2000 की तालिका III के कॉलम (1) के उपशीर्ष “पेट्रोलियम और अन्य हाइड्रो कार्बन तेल, खतरनाक” के अंतर्गत मद- ‘हेक्सीन-1’ और तदनुरूप उपशीर्ष “पैकिंग” के अंतर्गत कॉलम 2 में मद ‘नाइट्रोजन पज्ड आईएसओ कंटेनर’ को शामिल किया जाएगा।

[फा. सं. टीसीआर/1015/2022/एन डब्ल्यू आर/HEXENE-1 (3392066)]

बरजेश धर्मानि, कार्यपालक निदेशक, यातायात वाणिज्य (दर)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उपखंड (I) में दिनांक 15 जुलाई 2000 के सा.का.नि. 266 (अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार दिनांक 19 नवम्बर 2013 के सा.का.नि. 740 (अ) की अधिसूचना के तहत संशोधित किये गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th September, 2022

G.S.R. 731(E).—In exercise of powers conferred by Section 67 and Section 87 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways Red Tariff Rules, 2000, namely “-

1. (1) These rules may be called the Railways Red Tariff (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Railways Red Tariff Rules 2000, in the Table III, in Column (1), under the sub heading “Petroleum and other Hydro carbon Oils, Dangerous”, the item ‘Hexene-1’ and correspondingly in column (2), under the sub heading “Packing”, the item ‘Nitrogen purged ISO containers’ shall be inserted.

[F. No. TCR/1015/2022/NWR/HEXENE-1(3392066)]

BARJESH DHARMANI, Executive Director, Traffic Commercial (Rates)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section(i) vide No. G.S.R. 266, dated 15th July, 2000 and was last amended vide notification number G.S.R.740(E), dated 19th November, 2013.